दिनांक- 24.05.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 95/26

महोबा पुलिस

सर्किल- कुलपहाड़ थाना महोबकंठ

थाना महोबकंठ पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत वारंटों के अनुपालन एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 24.05.2026 को प्रभावी कार्यवाही की गई।

अपर पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक महोबकंठ श्री विनोद कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा 02 वारंटी अभियुक्त/अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

उ0नि0 रोहित कुमार थाना महोबकंठ जनपद महोबा द्वारा मय हमराह रि0कां0 विकास कुमार व रि0म0कां0 स्नेहा मिश्रा के साथ कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड़, जनपद महोबा द्वारा निर्गत वारण्ट मु0सं0- 61/2019, एनसीआर नं0- 150/2018 धारा 323/504/506 भादवि से संबंधित 02 नफर वारंटी अभियुक्तगण क्रमशः 1. हरप्रसाद उर्फ गुड्डन पुत्र भुल्ला, उम्र 50 वर्ष 2. मीरा पत्नी हरप्रसाद उर्फ गुड्डन, उम्र 45 वर्ष निवासीगण ग्राम कनौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा को ग्राम कनौरा से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता को पुलिस हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रोहित कुमार, थाना महोबकंठ जनपद महोबा
2. रि0कां0 विकास कुमार
3. रि0म0कां0 स्नेहा मिश्रा

दिनांक- 24.05.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 96/26

महोबा पुलिस

सर्किल- कुलपहाड़, थाना कुलपहाड़

थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को मय अवैध शस्त्र के साथ किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के नेतृत्व में जनपद में अपराध की रोकथाम, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 24.05.2026 को थाना कुलपहाड़ पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई।

प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा गठित टीम के उ0नि0 रमेशकान्त त्रिपाठी मय हमराह कां0 अनुराग यादव द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 106/2026 धारा 352/351(3) बी.एन.एस एवं वृद्धि धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त खेमराज पुत्र रामप्रसाद, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी ग्राम कुटरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को अंडर रेलवे ब्रिज बेलाताल, कुलपहाड़ रोड से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 अदद देशी बंदूक 12 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रमेशकान्त त्रिपाठी
2. का0 अनुराग यादव

गिरफ्तार अभियुक्त-

खेमराज पुत्र रामप्रसाद, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी ग्राम कुटरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद देशी बंदूक 12 बोर
- 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर

दिनांक- 24.05.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 97/26

महोबा पुलिस

सर्किल- कुलपहाड़, थाना कुलपहाड़

थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक- 24.05.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा गठित उ0नि0 सुरेश प्रसाद पटेल मय हमराह उ0नि0 योगेश रावत, कां0 अरूण कुमार, कां0 अभय पटेल व कां0 विक्की चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.राम निरंजन राजपूत पुत्र स्व0 बद्रीप्रसाद उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम गौरहारी थाना चरखारी जनपद महोबा 2.सचिन कुमार राजपूत पुत्र जयसिंह उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम गौरहारी थाना चरखारी जनपद महोबा जिसमे अभियुक्त राम निरंजन के कब्जे से 01 अदद तमंचा 32 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर व अभियुक्त सचिन कुमार के कब्जे से 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुये ग्राम विजयपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 108/2026 व मु0अ0सं0 109/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण -

1.राम निरंजन राजपूत पुत्र स्व0 बद्रीप्रसाद उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम गौरहारी थाना चरखारी जनपद महोबा

2.सचिन कुमार राजपूत पुत्र जयसिंह उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम गौरहारी थाना चरखारी जनपद महोबा

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्त राम निरंजन के कब्जे से 01 अदद तमंचा 32 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर व अभियुक्त सचिन कुमार के कब्जे से 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 सुरेश प्रसाद पटेल

2.उ0नि0 योगेश रावत

3.कां0 अरूण कुमार

4.कां0 अभय पटेल

5.कां0 विक्की चौधरी

दिनांक- 24.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 98/26

महोबा पुलिस

सर्किल- नगर, थाना- कोतवाली नगर

जनपद महोबा पुलिस को NEET छात्रा के अपहरण प्रकरण में बड़ी सफलता, घटना से संबंधित 02 और अभियुक्त गिरफ्तार, प्रकरण से संबंधित सभी नामजद 05 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर महोबा, जनपदीय एसओजी एवं सर्विलांस टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चर्चित NEET छात्रा के अपहरण प्रकरण में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में ही प्रकरण से संबंधित 03 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

घटना क्रम-

दिनांक 01.05.2026 को जनपद छतरपुर (म०प्र०) निवासी वादिनी द्वारा थाना कोतवाली नगर महोबा पर अपनी पुत्री (उम्र लगभग 25 वर्ष) के गुमशुदा होने के संबंध में तहरीर प्रदान की गयी थी जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु.अ.सं. 202/26 धारा 87/351(3) BNS के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

घटना की गंभीरता को देखते हुए अपहृता की सकुशल बरामदगी हेतु 04 विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा सतत एवं प्रभावी प्रयास करते हुए दिनांक 16.05.2026 को अपहृता को सकुशल बरामद कर लिया गया। आवश्यक चिकित्सीय परीक्षण एवं न्यायालयीन बयान की कार्यवाही पूर्ण कर अपहृता को उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया।

जिसके उपरान्त अपहृता के न्यायालयीन कथनों एवं विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में धारा 70(1)/127(4)/115(2)/61(2) बीएनएस एवं धारा 3(2)(5क)/3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

इसी दौरान सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त वीडियो, विवाह प्रमाण-पत्र तथा माननीय उच्च न्यायालय में दायर संयुक्त रिट याचिका जैसे तथ्यों को भी विवेचना में सम्मिलित करते हुए प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है।

इसी क्रम में आज दिनांक 24.05.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर अरूण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर महोबा पुलिस, जनपदीय एसओजी एवं सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान उक्त अभियोग से संबंधित 02 अन्य वांछित अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है। जिनका विवरण निम्नवत है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. हल्लू उर्फ अजेश उर्फ बृजेश पुत्र महेन्द्र राजपूत उम्र करीब 23 वर्ष। 2. मोहित पुत्र तेजराम धोबी उम्र करीब 21 वर्ष।

निवासीगण ग्राम पठा, थाना लवकुशनगर, जनपद छतरपुर (म०प्र०) को पसवारा मोड़ से कबरई की ओर जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम-

थाना कोतवाली नगर महोबा पुलिस टीम-

1. निरीक्षक मनीष कुमार पाण्डेय SHO कोतवाली नगर
2. उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह 3. कां0 शिवनारायण

जनपदीय एसओजी/सर्विलांश टीम-

1. उ0नि0 श्री शिवप्रताप सिंह 2. उ0नि0 श्री विवेक यादव
3. कं.ऑ. अभिषेक वर्मा 4. कां0 दीपक वर्मा
5. कां0 रंजीत सिंह 6. कां0 आशीष बघेल
7. कां0 निर्भय सिंह 8. कां0 कुलदीय यादव
9. कां0 सत्यम सिंह जादौन 10. कां0 अभिषेक दुबे
11. कां. नीलेश